आचार्य श्री नानेश जनसेवा पुरस्कार

1. पृष्ठभूमि :

1.1 – गुवाहाटी में दिनांक 5 जनवरी 2013 को आयोजित कार्यसमिति बैठक में मा. सदस्य श्री हरिसिंह जी रांका द्वारा एक पुरस्कार योजना प्रस्तावित हुई थी। आपका सुझाव था कि श्री एस. एल. रांका फाउंडेशन, मुम्बई के सौजन्य से संघ को रूपये 11 लाख सहयोग राशि अनुदानित होगी जो एक निधि स्वरूप संघ में परिरक्षित रहेगी। निधि राशि बैंक में सावधि जमा खाते में जमा की जाएगी। संदर्भित राशि पर अर्जित दो वर्ष का ब्याज, अर्थात् रूपये 2 लाख, पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार द्वैवार्षिक होगा।

1.2 – पुरस्कार के अतिरिक्त यह राशि अन्य किसी उपयोग में नहीं ली जा सकेगी।

1.3 – यदि ब्याज दर में उतार–चढाव के चलते अर्जित राशि रूपये 2 लाख से न्यून होगी तो न्यूनता की पूर्ति फाउण्डेशन द्वारा की जाएगी।

2. पुरस्कार हेतु पात्रता :

2.1 – समता विभ्ति समीक्षण ध्यान योगी आचार्य श्री नानालाल जी म.सा. ने समाज एवं विश्व को समता दर्शन एवं व्यवहार की अनमोल विरासत प्रदान की। चूंकि आपकी पावन स्मृति में यह पुरस्कार संस्थापित हुआ, अएतव पुरस्कार के मानकों में, तथा पुरस्कार विजेता की उपलब्धियां में , उत्कृष्टता, उत्तमता व गुणवत्ता का परिलक्षित होना वांछनीय है।

2.2 – संदर्भित पुरस्कार शिक्षा, समाजसेवा, अध्यात्म, स्वास्थ्य, आर्थिक उत्थान, कृषि, पशुपालन, वन संरक्षण, पर्यावरण, व्यसनमुक्ति, जल संचयन इत्यादि जन सेवा क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था को प्रदान किया जाता है।

2.3 इस जन सेवा पुरस्कार हेतु किसी भी वर्ग, समुदाय व समाज के व्यक्ति का अथवा संस्था का नाम जो भारत में उपरोक्त सेवा क्षेत्रों में कार्यरत है, नामांकित किया जा सकता है।

3. पुरस्कार का स्वरूप : पुरस्कार हेतु चयनित व्यक्ति अथवा संस्था को श्री अखिल भारतवर्षीय जैन संघ की ओर से प्रशस्ति पत्र, शॉल एंव रूपये 2 लाख रूपये की राशि का चैक प्रदान किया जाएगा।

4. आवेदन/ नामांकन/ अनुशंसा :

4.1 – सुपात्र व्यक्ति अथवा संस्था का नाम पुरस्कार हेतु नामांकित करते हुए आवेदक के लिए आवश्यक होगा कि वह अभ्यर्थी का पूरा नाम, पता, सम्पर्क विवरण जैसे – ईमेल/मोबाईल नम्बर, कार्य क्षेत्र, सेवा क्षेत्र इत्यादि पूर्ण रूप से उल्लिखित करें।

4.2 – पुरस्कार हेतु स्वयं की अभ्यर्थिता भी प्रस्तुत की जा सकती है।

4.3 – अभ्यर्थी की सेवाओं/उपलब्धियों का उल्लेख अनुपूरक प्रमाण (Supporting Evidence) के साथ प्रेषित हो, जैसे प्रमाण पत्र, समाचार पत्र की कतरन (Newspaper Cutting) छायाचित्र, उद्धरण (Citation), अन्य पुरस्कार व सम्मान का विवरण इत्यादि।

4.4 – यदि संभव हो तो नामांकित व्यक्ति/संस्था की सेवाओं से लाभान्वित हितभागी के सिरनामा पत्र (Letterhead) पर अनुशंसा पत्र भिजवाएं/संलग्न करें।

5. पुरस्कार की आवृत्ति/कालावधि : द्विवार्षिक

6. चयन पद्धति :

6.1 – पुरस्कार विजेता का चयन तदर्थ पुरस्कार चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

6.2 – समिति का गठन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अर्थात् समिति के संयोजक का एवं सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।